संख्या-39/2023/130/22-4-2023/001-48-15-2020

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक / महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 29 मार्च, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली द्वितीय के अन्दर 30 क्षमता की 08 नग बैरक में कुल 64 सेल शौचालय तथा पार्टीशनवाल सहित निर्माण / परिवर्तन करते हुए बैरक के चारों तरफ बरामदे को 25 एमएम स्कवार वार से कवर करते हुए बैरक के निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4464/नम-2/के0का0बरेली(30 क्षमता की 08 नग बैरक)/2021, दिनांक-10.02.2023 एवं प्रश्नगत कार्य की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-12/2021/1075/22-4-2021-48(15)/2020, दिनांक-02.02.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त शासनादेश दिनांक-02.02.2021 द्वारा केन्द्रीय कारागार, बरेली द्वितीय के अन्दर 30 क्षमता की 08 नग बैरक में कुल 64 सेल शौचालय तथा पार्टीशनवाल सहित निर्माण / परिवर्तन करते हुए बैरक के चारों तरफ बरामदे को 25 एमएम स्कवार वार से कवर करते हुए बैरक के निर्माण कार्य हेतु रू0 109.55 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 में धनराशि रू0 21.91 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में शासनादेश दिनाँक-28.03.2022 के द्वारा धनराशि रू0 54.775 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस प्रकार कुल धनराशि रू0 76.685 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया केन्द्रीय कारागार, बरेली द्वितीय के अन्दर 30 क्षमता की 08 नग बैरक में कुल 64 सेल शौचालय तथा पार्टीशनवाल सहित निर्माण / परिवर्तन करते हुए बैरक के चारों तरफ बरामदे को 25 एमएम स्कवार वार से कवर करते हुए बैरक के निर्माण कार्य की मूल स्वीकृत लागत रू0 109.55 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 32,86,500/- (रुपया बत्तीस लाख छियासी हजार पाँच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय, वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय उसी मद में किया जायेगा।

(3) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग एवं कार्य निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कर लिया जाय।

(5) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत नियमों, शर्तों, प्रतिबंधों आदि का नियमानुसार पूर्णतः पालन किया एवं कराया जाए ।

(6) कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी वह दो माह की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

4- प्रश्नगत योजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक-02.02.2021 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 32,86,500 (रुपये बत्तीस लाख छियासी हजार पांच सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4059800510300 कारागारों का उच्चीकरण, नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग -1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव ।

संख्या-39/2023/ 130(1)22-4-2023, तद्दिनाँकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।

(3) मुख्य अभियन्ता (भवन) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

(4) जिलाधिकारी, बरेली ।

(5) वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार बरेली ।

(6) मुख्यठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(8) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(9) निजी सचिव, मा0 राज्यामंत्री (स्वंतंत्र प्रभार) कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(10) वित्ति (व्य्य नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्तर (आय- व्यबयक) अनुभाग-1/2
(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।